मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016

फोनः 0755 – 2463585, 2430154, फैक्सः– 4004137

ई मेलः– secretary@mperc.nic.in वैबसाईटः– www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (टै)/2024/1263 **भोपाल, दिनांक 28/05/2024**

: सार्वजनिक सूचना :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 (2) (ज) तथा 181 (2) (यध) सहपठित धाराओं 36 तथा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण – पंचम), विनियम, 2024 {आरजी – 28(V), सन् 2024} किया जाना प्रस्तावित करता है। उक्त विनियम का प्रारुप आयोग की वैबसाईट **www.mperc.in** पर उपलब्ध है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वे व्यक्ति जो उक्त विनियम मे संशोधन के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, वे लिखित में सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को **21 दिन के भीतर** प्रेषित कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त विनियम में प्रस्तावित संशोधन की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रु. 200/– (प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है । यह प्रति डाक द्वारा रु. 50/– के अतिरिक्त भुगतान द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा **दिनांक 18/06/2024 को प्रातः 11.00** बजे विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग को भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव